

कार्यशालाओं का आयोजन

पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जन-जागृति बढ़ाने के उद्देश्य से बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में विचाराधीन वर्ष में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, ई-अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन आदि विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योग / खदानों को पर्यावरण पुरस्कार के लिये वर्ष 2013-2014 के राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित कर दिनांक 05 जून 2015 को वितरण किये गये :-



क्र.	उद्योग श्रेणी	पुरस्कृत संस्था का नाम	पुरस्कार की राशि (रु० में)
1.	अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग	मेसर्स संजय गौंधी थर्मल पॉवर स्टेशन, म. प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लि०, बिरसिंहपुर, जिला-उमरिया (म.प्र.)	1,50,000.00
2.	सामान्य उद्योग	मेसर्स सेन्चुरी डेनिम, (सेन्चुरी टेक्सटाइल एण्ड इंडस्ट्रीज लि०), ग्राम व पोस्ट- सतराती, जिला-खरगौन (म.प्र.)	1,00,000.00
3.	उत्खननरत खदानें	1. मेसर्स कंचन ओपन कास्ट माईन, एस. ई. सी. एल, जोहिला एरिया, नौरोजाबाद, जिला-उमरिया (म.प्र.) 2. मेसर्स ए. पी. त्रिवेदी संस. मैगनीज माईन रामरामा, वारसिवनी जिला- बालाघाट (म.प्र.)	प्रत्येक को 50,000.00 + 50,000.00 कुल 1,00,000.00
4.	लघु उद्योग	मेसर्स मैथोडेक्स सिस्टम लि०, इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-3, पीथमपुर, जिला-धार (म.प्र.)	1,00,000.00

9. पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये प्रकरणों की जानकारी :-

क	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक/वर्ष	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
1	मेसर्स ग्रेसिम इंड लि.(स्टेपर फाइबर डिबी) विरलाग्राम नागदा उज्जैन	2015	वायु अधिनियम 1981 की धारा - 37 एवं 40	सम्मति शर्तों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित न करने के कारण
2	मेसर्स लैडमार्क मैरिज गार्डन, हलालपुरा भोपाल	17/4/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
3	मेसर्स मूनलाईट गार्डन, (मैरिज गार्डन) हलालपुरा भोपाल	17/4/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
4	मेसर्स बागोबहार मैरिज गार्डन खानूगांव भोपाल	17/4/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
5	मेसर्स मेरीगोल्ड मैरिज गार्डन व्हीआइपी रोड भोपाल	17/4/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन
6	मेसर्स सनसिटी गुड गार्डन सेलीब्रेशन (मैरिज गार्डन) हलालपुरा भोपाल	17/4/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन
7	नगर पालिका परिषद नरसिंहगढ राजगढ	27/4/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्राक्धान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबन्धन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्राक्धानों का उल्लंघन
8	नगर पालिक निगम (स्लाटर हाउस) जूनी इन्दौर	13669 14/5/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से जल सम्मति प्राप्त नहीं करने के कारण
9	नगर पालिक निगम (स्लाटर हाउस)खजराना इन्दौर	13670 14/5/15	जल अधिनियम की धारा-25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से जल सम्मति प्राप्त नहीं करने के कारण
10	नगर पालिक निगम (स्लाटर हाउस)जूनीरिसाला	13671 14/5/15	जल अधिनियम की धारा-25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से जल सम्मति प्राप्त नहीं करने के कारण

11	नगर पालिक निगम (स्लाटर हाउस) बुरहानपुर	1626 29/5/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से जल सम्मति प्राप्त नहीं करने के कारण
12	मे.अजय कुमार पाठक, कोटर लाइम स्टोन माइन्स रकवा 23.237 है.	2299/15 30/6/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 के प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना खदान का संचालन करने के कारण ।
13	मेसर्स शार्प एग्रीकॉम लि. मंडीदीप रायसेन	18/6/15	जल अधिनियम की धारा-25,44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना उद्योग स्थापित करने के कारण
14	मेसर्स मोल्डलेज इण्डिया फूड्स लि. (मेसर्स केडबरी इ. लि.) मालनपुर	434/15 3/7/15	जल अधिनियम की धारा -43,44 एवं 49	सम्मति शर्तों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित न करने के कारण
15	मेसर्स एचईजी लि० (ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड यूनिट) मंडीदीप रायसेन	15/7/15	वायु अधिनियम की धारा -21,37, 39 एवं 40	वायु अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना किये बिना उत्पादन कर प्रदूषण फैलाने के कारण
16	मेसर्स एचईजी लि० (केप्टिव पावर प्लांट) मंडीदीप रायसेन	15/7/15	वायु अधिनियम की धारा -21,37, 39 एवं 40	वायु अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना किये बिना उत्पादन कर प्रदूषण फैलाने के कारण
17	नगर पालिका परिषद बैरसिया भोपाल	16/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
18	मे.आरोन डेवेलपर्स प्रा.लि.इन्दौर	22681 21/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 1916	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 के प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण ।
19	नगर पालिका परिषद ब्यावरा राजगढ़	23/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु व्यवस्था की स्थापना न करना
20	मेसर्स वालमार्ट इंडिया प्रा.लि. (बेस्ट प्राइज माडर्न होलसेल यूनिट-1) रासलाखेडी भोपाल	23/7/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के इकाई का संचालन करने के कारण
21	मेसर्स वालमार्ट इंडिया प्रा.लि.(बेस्ट प्राइज माडर्न होलसेल यूनिट-2)	23/7/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के इकाई का संचालन

22	कौशल्या पिक हेरीटेज (गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट) हिनोतिया काछान एवं सेमराकला, भोपाल	23/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 ए वं 16 जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 40	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 के प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये टाउनशिप का निर्माण करना।
23	विराशा हाईटस (गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट) बंजारी भोपाल	23/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16 एवं जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 40	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 के प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये टाउनशिप का निर्माण करना।
24	गोविन्द रियल्टी प्रा. लि० आसिमो माल मल्टीप्लेक्स कम शॉपिंग काम्प्लेक्स बाबडियाकला भोपाल	23/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 ए वं 16 जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 40	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 के प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये टाउनशिप का निर्माण करना।
25	मेसर्स सतपुडा थर्मल पावर स्टेशन(2*250 मेगावाट यूनिट) म.प्र.पावर जनरेटिंग क.लि. सारणी बैतूल	24/7/15	जल अधिनियम की धारा -25, 44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये उद्योग का संचालन प्रारम्भ करना
26	मेसर्स सतपुडा थर्मल पावर स्टेशन (111हे.क्षेत्र नवीन राखड बांध) म.प्र. पावर जनरेटिंग क. लि. सारणी बैतूल	24/7/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	ईआईए नोटिफिकेशन के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति के राखड बांध का निर्माण एवं संचालन करना
27	नगर परिषद करैरा	25/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय टोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
28	नगर पालिका परिषद अशोकनगर	10/8/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय टोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
29	नगर पालिका परिषद सीहोर (स्लाटर हाउस)	17/8/15	जल अधिनियम की धारा -25,43, 44 एवं 48	जल अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति एवं दूषित जल उपचार व्यवस्था की स्थापना के बिना स्लाटर हाउस संचालन

30	नगर पालिका परिषद पचोर राजगढ	24/8/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
31	नगर पालिका परिषद सारगंपुर राजगढ	25/8/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
32	नगर पालिका निगम स्लाटर हाउस जबलपुर	9425/15	जल-24,25,26,43,44, 47 एवं 48	स्लाटर हाउस का बिना बैच सम्मति के संचालन करने एवं दूषित जल का निस्सारण करने के कारण।
33	जनता डेयरी ग्राम सालीवाडा जबलपुर	01/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त नहीं करना, निस्साव के उपचार हेतु व्यवस्था की स्थापना नहीं करते हुये दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
34	नगर पालिका परिषद पनागर जबलपुर	03/15 24/8/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु व्यवस्था की स्थापना न करना
35	बाहिद डेयरी गौरैया घाट जबलपुर	04/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
36	खत्री डेयरी ग्राम सालीवाडा जबलपुर	05/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
37	गुलशन डेयरी ग्राम कटियाघाट जबलपुर	20/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
38	मुन्ना डेयरी ग्राम सालीवाडा जबलपुर	21/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
39	जवाहर डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	22/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
40	नगर पालिका परिषद पनानगर	23/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी

41	भुज्जन डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	09/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
42	सौकी डेयरी ग्राम करौदानाला जबलपुर	10/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	बिना सम्मति कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
43	प्रकाश पटेल डेयरी जबलपुर	13/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
44	पांडे डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	14/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
45	बडगैया डेयरी जबलपुर	15/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
46	पंकज डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	11/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
47	लल्लू डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	08/15 24/8/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
48	भगवान चन्द्र नेमनाणी स्टोन केशर पंधाना खण्डवा	4651 2/9/15	वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	क्षमता विस्तार हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना बड़ी हुई उत्पादन क्षमता से उद्योग संचालन के कारण
49	पुरनी इन्फ्रा. प्रा.लि. स्टोन केशर पुनासा खण्डवा	4652 2/9/15	वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	क्षमता विस्तार हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना बड़ी हुई उत्पादन क्षमता से उद्योग संचालन के कारण
50	साधना दीक्षित स्वराज स्टोन केशर खण्डवा	4650 2/9/15	वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	क्षमता विस्तार हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना बड़ी हुई उत्पादन क्षमता से उद्योग संचालन के कारण
51	मनोहर डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12481/15 22/9/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
52	धरमपाल डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12480/15 22/9/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।

65	वर्मा डेयरी ग्राम खैरी जबलपुर	12664 / 15 22 / 9 / 15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
66	सेठी डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12729 / 15 22 / 9 / 15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
67	सेठी डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12734 / 15 22 / 9 / 15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
68	सौकी डेयरी ग्राम खैरी जबलपुर	12736 / 15 22 / 9 / 15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
69	रामदीन डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12731 / 15 22 / 9 / 15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
70	प्रेम सिंह डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12732 / 15 22 / 9 / 15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
71	दिनेश डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12728 / 15 22 / 9 / 15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
72	काके डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12727 / 15 22 / 9 / 15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
73	गुप्ता डेयरी ग्राम खैरी जबलपुर	12735 / 15 22 / 9 / 15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
74	कचन डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12730 / 15 22 / 9 / 15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
75	राजनाथ डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12733 / 15 22 / 9 / 16	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
76	सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ रतलाम	6 / 11 / 15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु नियमों के अनुरूप सीबीडब्ल्यूटीएफ में बिना आवश्यक उपकरणों की स्थापना के अपशिष्टों का अवहन कर

77	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25, 44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना उत्पादन सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के हास्पिटल का संचालन प्रारम्भ करना।
78	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल	17/11/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन नियम 1998 के प्रावधानों के अनुरूप चि कित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु व्यवस्था स्थापित नहीं करना।
79	भोपाल इंस्त्रिरेटर गोविन्दपुरा भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25, 44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के संस्थान का संचालन करना।
80	मे.एस.आर.कार लालघाटी भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के संस्थान का संचालन करना।
81	मे टी व्ही.एस. मिसरीद भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के संस्थान का संचालन करना।
82	मे मानिक सुजुकी कोहेफिजा भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के संस्थान का संचालन करना।
83	मे रजीत निशान होशंगाबाद रोड भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के संस्थान का संचालन करना।
84	मेसर्स अनिल लाइफ साइसेस ग्राम सलैया तह चौरई छिंदवाडा	4/12/15	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 49 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 41	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के कार्य प्रारम्भ करना।
85	मे.ए.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. इन्दौर	22681 7/12/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के अनुसार बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना

86	मेसर्स लायन सिटी एन्जोरा (मैरिज गार्डन) हलालपुरा भोपाल	09/12/15	जल अधिनियम की धारा -25, 44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
87	मेसर्स ग्रीनसिटी गार्डन (मैरिज गार्डन) लालघाटी भोपाल	09/12/15	जल अधिनियम की धारा -25, 44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
88	मेसर्स गुलशन एण्ड स्वागत (मैरिज गार्डन) लालघाटी भोपाल	09/12/15	जल अधिनियम की धारा -25, 44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
89	गुल्ले यादव डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	128860/15 18/12/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
90	भगतजी डेयरी ग्राम ललपुर जबलपुर	128873/15 18/12/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
91	शंकर यादव डेयरी ग्राम ललपुर जबलपुर	128872/15 18/12/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
92	सुजीत डेयरी ग्राम खैरी जबलपुर	128871/15 18/12/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
93	प्रताप डेयरी ग्राम खैरी जबलपुर	128869/15 18/12/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
94	मामा डेयरी ग्राम जमतारा जबलपुर	128866/15 18/12/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
95	तुलसी डेयरी ग्राम खैरी जबलपुर	128864/15 18/12/15	जल-25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।

